भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी वकास और गंगा संरक्षण वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या 3257

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

गंगा नदी में मल जनित जीवाणु

3257. सुश्री सयानी घोष:

श्री मुरारी लाल मीना:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल और ऋ षकेष से बिहार तक मल प्रदूषण सहित गंगा नदी में प्रदूषण के स्तर की स्थानवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गंगा नदी में मल जनित जीवाणुओं की अत्य धक मात्रा के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है क हाल के प्रतिवेदनों में बड़े आध्यात्मिक समारोहों के दौरान गंगा नदी में पाए गए मल जनित बैक्टीरिया के उच्च स्तर को उजागर कया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार गंगा नदी में मल जनित जीवाणु के स्तर की निय मत रूप से निगरानी कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या हैं और इसकी जांच कतनी बार की गई है;

(ङ) सरकार द्वारा गंगा और देश की अन्य नदियों वशेषकर राजस्थान की नदियों के जल को मल एवं अन्य जीवाणु मुक्त करने के लए चलाए जा रहे अ भयानों की वर्तमान स्थिति क्या है और इन अ भयानों की प्रभावशीलता का आकलन कब तक कए जाने की संभावना है;

(च) गंगा नदी की सफाई और पुनरूद्धार के लए नमा म गंगे परियोजना के अंतर्गत आरंभ से राज्यवार/वर्षवार कुल कतनी नि ध आवंटित और उपयोग की गई है; और

(छ) उक्त परियोजना के अंतर्गत नदी में औद्यो गक, नगरीय और कृ ष से हुए प्रदूषण से निपटने के लए क्या व शष्ट उपाय कए गए हैं/ कए जा रहे हैं और इन उपायों की प्रभावशीलता क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (घ): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा 112 स्टेशनों (उत्तराखंड-19; उत्तर प्रदेश-41; बिहार-33; झारखंड-04 और पश्चिम बंगाल-15) पर संबं धत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से पा क्षक आधार पर गंगा नदी की जल गुणवत्ता की मैनुअल निगरानी की जाती है।

सीपीसीबी द्वारा अ धसू चत प्राथ मक जल गुणवत्ता मानदंडों में शा मल भौतिक मापदंडों और जै वक मापदंडों की राज्य-वार डेटा रेंज अनुलग्नक-**I** में संलग्न है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार, गंगा नदी पर प्रदू षत नदी खंड (पीआरएस) निम्नानुसार हैं:

क. उत्तराखंड प्रदू षत खंड में नहीं आता
ख. उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद से इलाहाबाद और मर्ज़ापुर से ग़ाज़ीपुर तक - *प्राथ मकता श्रेणी V*
ग. बिहार में बक्सर, पटना, फतवा और भागलपुर के समीप- *प्राथ मकता श्रेणी IV*
घ. झारखंड प्रदू षत खंड में नहीं आता
ङ. पश्चिम बंगाल में, बहरामपुर से हल्दिया तक - *प्राथ मकता श्रेणी IV*

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड और झारखंड में गंगा नदी के पूरे हिस्से और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में स्नान के लए फेकल कोलीफॉर्म (मी डयन) प्राथ मक जल गुणवत्ता मानदंड पूरा हो गया है, जब क उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में गंगा नदी के सम्पूर्ण क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में स्नान के लए प्राथ मक जल गुणवत्ता मानदंड फेकल स्ट्रेप्टोकोकी (मी डयन) पूरा हो गया है।

घु लत ऑक्सीजन, जो नदी के स्वास्थ्य का एक संकेतक है, अ धसू चत प्राथ मक स्नान जल गुणवत्ता मानदंडों की स्वीकार्य सीमा के भीतर पाया गया है और गंगा नदी के लगभग पूरे खंड के लए नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देने के लए संतोषजनक है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने गंगा नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी की है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2023 में बहाल कए गए प्रदू षत खंड (क) उत्तराखंड में हरिद्वार से सुल्तानपुर; (ख) उत्तर प्रदेश (यूपी) में संगम के बाद पांडु नदी, देवमई, फतेहपुर से डलमऊ, रायबरेली (ग) उत्तर प्रदेश में कड़ाघाट, कौशाम्बी से धीमी, प्रतापगढ़; (घ) उत्तर प्रदेश में यू/एस वाराणसी से डाउन-स्ट्रीम वाराणसी (च) बिहार में बक्सर से भागलपुर और (छ) पश्चिम बंगाल में खगरा बेहरामपुर से सेरामपुर तक।

(ख) और (ग): प्रयागराज में महाकुंभ से संबं धत दिनांक 23.12.2024 के आदेश के अनुपालन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एनजीटी के समक्ष ओए 310/2022 के मामले में दिनांक 28.02.2025 को एक वस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। संद र्भत रिपोर्ट के अनुसार, सभी निगरानी स्थानों के लए पीएच, घु लत ऑक्सीजन (डीओ), बीओडी

और फेकल कोलीफॉर्म (एफसी) का औसत मूल्य स्नान के जल के लए संबं धत मानदंड /अनुमेय सीमा के भीतर था।

(ङ): राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशन (एनएमसीजी) ने 6,335 म लयन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की उपचार क्षमता के साथ प्रदू षत नदी खंडों के उपचार के लए 33,004 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 206 सीवरेज बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 3,446 एमएलडी की क्षमता वाली 127 एसटीपी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और उन्हें प्रचा लत कर दिया गया है। नमा म गंगे कार्यक्रम के तहत बनाए गए प्रदूषण निवारण बुनियादी अवसंरचना में सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट प्रवाह मानकों के अनुसार फेकल कोलीफॉर्म और अन्य बैक्टीरिया के उपचार के लए तृतीयक उपचार (क्लोरीनीकरण, ओजोनेशन आदि) का प्रावधान है। राजस्थान में, एनएमसीजी ने 258.48 करोड़ रूपये की लागत से 36 एमएलडी सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण के लए एक परियोजना को मंजूरी दी है।

(च): नमा म गंगे कार्यक्रम (वत्त वर्ष 2014-15) की शुरुआत से 03 मार्च 2025 तक भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशन (एनएमसीजी) को आवंटित रा श और प्रदूषण कम करने तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लए परियोजनाओं /कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु व भन्न एजें सयों को एनएमसीजी द्वारा वतरित रा श का वर्ष -वार ब्यौरा अनुलग्नक **II** में दिया गया है।

कार्यक्रम के अंतर्गत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं कया गया है। हालाँ क, नमा म गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं /कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लए राज्य स्वच्छ गंगा मशनों सहित व भन्न एजें सयों को इसकी शुरुआत (वत्त वर्ष 2014-15) से लेकर 03 मार्च 2025 तक वतरित की गई संक लत राज्य-वार रा श अनुलग्नक-**III** में दी गई है।

(छ): औद्यो गक प्रदूषण को कम करने के लए एनएमसीजी द्वारा 3 सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) स्वीकृत कए गए हैं, अर्थात जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी), बंथर सीईटीपी (4.5 एमएलडी) और मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी)। इनमें से दो परियोजनाएं, मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) और जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी) पूरी हो चुकी हैं।

औद्यो गक प्रदूषण पर निगरानी रखने के लए, वर्ष 2017 में अत्य धक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वा र्षक निरीक्षण शुरू हुआ। निरीक्षण के सातवें दौर में, 4,246 अत्य धक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की सूची बनाई गई है। सभी जीपीआई का निरीक्षण कया गया है। अभी तक, 4,000 जीपीआई में से जिन पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है, 2,685 जीपीआई अनुपालन कर रहे हैं, 514 अनुपालन नहीं कर रहे हैं, 523 जीपीआई अस्थायी रूप से बंद हैं, और 278 जीपीआई स्थायी रूप से बंद हैं। अनुपालन न करने वाले (514 जीपीआई) में से, 26 जीपीआई को बंद करने के लए नोटिस जारी कया गया है और 488

जीपीआई को कारण बताओ नोटिस जारी कया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2017 में बीओडी भार 26 टन प्रति दिन (टीपीडी) से घटकर वर्ष 2023 में 13.73 टीपीडी हो गया है, तथा बहिःस्राव में लगभग 28.6% की कमी आई है, जो वर्ष 2017 में 349 एमएलडी से घटकर वर्ष 2023 में 249.31 एमएलडी हो गया है।

कृ ष संबंधी प्रदूषण के लए, एनएमसीजी व भन्न कसान कार्यशालाओं के माध्यम से गंगा बे सन में 'शून्य बजट प्राकृतिक खेती' को बढ़ावा दे रहा है।

*****

अनुलग्नक-**I**

"गंगा नदी में मल जनित जीवाणु" के संबंध में दिनांक **20.03.2025** को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारां कत प्रश्न संख्या **3257** के भाग (क) और (घ) के उत्तर में उल्लि खत ववरण।

भौतिक और जै वक मापदंडों के लए स्टेशन के औसत मूल्यों के आधार पर राज्य के स्टेशनों में स्थानिक भन्नता

राज्य	मापदंड		2024 (जन.-नव.)	
			न्यूनतम	अ धकतम
उत्तराखंड	भौतिक मापदंड	पी एच	7.4	8.1
		घु लत ऑक्सीजन	8.2	11.6
	जै वक मापदंड	जैव रसायनिक ऑक्सीजन मांग	1	2
उत्तर प्रदेश	भौतिक मापदंड	पी एच	7.2	8.4
		घु लत ऑक्सीजन	6.9	10.4
	जै वक मापदंड	जैव रसायनिक ऑक्सीजन मांग	1.2	4.5
बिहार	भौतिक मापदंड	पी एच	7.5	7.8
		घु लत ऑक्सीजन	7.2	8.1
	जै वक मापदंड	जैव रसायनिक ऑक्सीजन मांग	1.2	2.0
झारखंड	भौतिक मापदंड	पी एच	7.5	7.6
		घु लत ऑक्सीजन	7.2	7.3
	जै वक मापदंड	जैव रसायनिक ऑक्सीजन मांग	1.2	1.5
पश्चिम बंगाल	भौतिक मापदंड	पी एच	7.2	8.0
		घु लत ऑक्सीजन	5.4	7.1
	जै वक मापदंड	जैव रसायनिक ऑक्सीजन मांग	1.8	2.8

*****

अनुलग्नक-II

"गंगा नदी में मल जनित जीवाणु" के संबंध में दिनांक **20.03.2025** को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारां कत प्रश्न संख्या **3257** के भाग (च) के उत्तर में उल्लि खत ववरण।

नमा म गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत बजट प्रावधानों,भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को जारी की गई रा श तथा एनएमसीजी (वत्तीय वर्ष 2014-15 से 03 मार्च 2025 तक) द्वारा व भन्न कार्यान्वयन/कार्यकारी एजें सयों को वतरित की गई रा श का वर्ष-वार ववरण

करोड़ रुपये में

	वत्तीय वर्ष	बजट प्रावधान (संशो धत अनुमान)	भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को जारी धनरा श	एनएमसीजी द्वारा सं वतरण/जारी
नमा म गंगे चरण-I	2014-15	2,053.00	326.00	170.99
	2015-16	1,650.00	1,632.00	602.30
	2016-17	1,675.00	1,675.00	1,062.81
	2017-18	3,023.42	1,423.12	1,625.01
	2018-19	2,370.00	2,307.50	2,626.54
	2019-20	1,553.40	1,553.40	2,673.09
	2020-21	1,300.00	1,300.00	1,339.97
	उप-योग (क)	*13,624.82*	*10,217.02*	*10,100.71*
नमा म गंगे चरण-II	2021-22	1,900.00	1,900.00	1,892.70
	2022-23	2,500.00	2,220.00	2,258.98
	2023-24	2,400.00	2,400.00	2,396.10
	2024-25	3,000.00	2,801.60	2,051.66*
	उप-योग (ख)	*9,800.00*	*9,321.60*	*8,599.44*
	कुल (क+ख)	23,424.82	19,538.62	18,700.15

* 03 मार्च 2025 तक

*****

अनुलग्नक-III

"गंगा नदी में मल जनित जीवाणु" के संबंध में दिनांक **20.03.2025** को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारां कत प्रश्न संख्या **3257** के भाग (च) के उत्तर में उल्लि खत ववरण।

वत्तीय वर्ष 2014-15 से 03 मार्च 2025 तक

क्र. सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	उत्तराखंड	4.26	37.04	44.03	242.49	328.94	122.28	124.82	147.51	111.72	144.40	82.12
2	उत्तर प्रदेश	74.58	153.35	585.15	550.12	823.77	876.68	472.46	450.69	707.44	820.74	999.33
3	बिहार	-	124.23	88.07	367.18	673.03	1,185.17	193.84	250.70	873.39	878.96	333.98
4	झारखंड	0.97	27.83	49.53	21.72	86.73	30.50	28.09	13.61	4.75	32.60	97.23
5	पश्चिम बंगाल	73.85	185.49	117.25	245.87	227.62	70.60	105.06	134.42	255.52	150.88	229.72
6	मध्य प्रदेश	-	3.39	6.50	-	-	-	-	-	-	12.50	39.67
7	दिल्ली	-	4.96	2.17	81.57	310.69	214.47	235.00	405.00	77.33	161.18	-
8	हरियाणा	-	30.00	52.73	6.88	-	-	-	-	-	-	
9	राजस्थान	-	-	20.00	-	1.25	-	-	50.00	-	-	
10	हिमाचल प्रदेश	-	-		-	-	-	1.25	2.50	-	-	

नोट 1 : ऊपर दर्शाए गए राज्यवार सं वतरण में (I) सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) और संबं धत बुनियादी ढांचे के लए राज्य स्वच्छ गंगा मशन, (ii) वनरोपण परियोजनाओं के लए राज्य वन वभाग, (iii) हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर कार्यान्वित एसटीपी परियोजनाएं, (iv) आरएफडी/ घाट परियोजनाओं के लए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, (v) गंगा ग्रामों में एसबीएम/ओडीएफ कार्यकलापों के लए पेयजल एवं स्वच्छता वभाग तथा राज्य ग्रामीण स्वच्छता मशन और (vi) औद्यो गक प्रदूषण निवारण परियोजनाओं को जारी की गई धनरा श शा मल है।

नोट 2: एनएमसीजी द्वारा उपर्युक्त सं वतरण/जारी में से 824.99 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त अनुदान रा श व भन्न कार्यान्वयन/कार्यकारी एजें सयों द्वारा भारत की समे कत नि ध में वापस कर दी गई है।